संख्या- 98/2019/1974/छप्पन-2019-06/2001टी0सी0

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 07 नवम्बर, 2019

विषय: आर0सी0एस0 योजना में चयनित जनपद सहारनपुर स्थित सरसावां एयरबेस पर नए सिविल इन्क्लेव के निर्माण हेतु क्रय की जाने वाली भूमि पर अवस्थित फलदार वृक्षों का मूल्य, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन शुल्क के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-433/ना0उ0नि0/2019 दिनांक 10 अक्टूबर, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आर0सी0एस0 में चयनित जनपद सहारनपुर स्थित सरसावां एयरबेस पर सिविल इन्क्लेव एवं अप्रोच रोड के निर्माण हेतु क्रय की जाने वाली भूमि पर अवस्थित फलदार वृक्षों का मूल्यांकन रू0 28,65,439/-, स्टाम्प शुल्क रू0 2,00,77,250/- एवं निबन्धन शुल्क रू0 9,89,550/- अर्थात् कुल धनराशि रू0 2,39,32,239/- (रूपए दो करोड़ उनतालीस लाख बत्तीस हजार दो सौ उनतालीस मात्र) पर प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर0सी0एस0 में चयनित जनपद सहारनपुर स्थित सरसावां एयरबेस पर सिविल इन्क्लेव एवं अप्रोच रोड के निर्माण हेतु क्रय की जाने वाली भूमि पर अवस्थित फलदार वृक्षों का मूल्यांकन रू0 28,65,439/-, स्टाम्प शुल्क रू0 2,00,77,250/- एवं निबन्धन शुल्क रू0 9,89,550/- अर्थात् कुल धनराशि रू0 2,39,32,239/- (रूपए दो करोड़ उनतालीस लाख बत्तीस हजार दो सौ उनतालीस मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 2,39,32,239/- (रूपए दो करोड़ उनतालीस लाख बत्तीस हजार दो सौ उनतालीस मात्र) के व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 21 नवम्बर, 2017 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वीकृत धनराशि का व्यय आर0सी0एस0 में चयनित जनपद सहारनपुर स्थित सरसावां एयरबेस पर सिविल इन्क्लेव एवं अप्रोच रोड के निर्माण हेतु क्रय की जाने वाली भूमि पर अवस्थित फलदार वृक्षों का मूल्य**,** स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन शुल्क के निमित्त ही व्यय की जाएगी।

(5) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 2**,**39**,**32**,**239/- (रूपए दो करोड़ उनतालीस लाख बत्तीस हजार दो सौ उनतालीस मात्र) आहरित कर तत्काल जिलाधिकारी, सहारनपुर के निर्वतन पर रखी जायेगी और जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

4- कृपया भूमि के क्रय/अर्जन हेतु अपेक्षित अग्रेतर कार्यवाही जिलाधिकारी, सहारनपुर से शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न कराने का कष्ट करें ताकि विषयांकित कार्य समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराया जा सके।

5- जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् शासन एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को यथासमय सूचित किया जाएगा।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखा-लेखाशीर्षक ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण**,** विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत्त निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- ई-7-799/दस-2019, दिनांक 07 नवम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 98/2019/1974(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10.
3- मण्डलायुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
4- जिलाधिकारी, सहारनपुर।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी, सहारनपुर।
6- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13.
8- निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।
9- समीक्षा अधिकारी (बजट)।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।